न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 37 / 2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023 / 290

1. जरनैल सिंह पुत्र अजायब सिंह जाति जटसिख निवासी 1 एनडब्लयूएम तहसील अनूपगढ़

—अपीलार्थी

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार भू अ. / राजस्व अनूपगढ़

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :—

1. श्री इन्द्राज कस्बां, अधिवक्ता अपीलार्थी
2. तहसीलदार अनूपगढ़, प्रत्यर्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक : 21.03.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. अपीलार्थी के द्वारा तहसीलदार भू अ. एवं राजस्व अनूपगढ़ के द्वारा आदेश दिनांक 05.03.2021 जिसके द्वारा अपीलार्थी को चक 1 एनडब्लयू एम तहसील अनूपगढ़ के मु.नं. 200 / 54 की 2.936है. रकबा राज भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए भू राजस्व का 50 गुणा रूपये 1175 की शास्ति आरोपित कर फसल कुर्क करने करने की पुष्टि करते हुए अपीलार्थी को उक्त रकबा से बेदखल कर कब्जा बहक सरकार लेने के आदेश पारित किये गये है, से व्यथित होकर यह अपील मय प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत की। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना पत्र के आधार पर आलौच्य आदेश की क्रियान्विति आगामी आदेशों तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये गये। प्रत्यर्थी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रत्यर्थी उपस्थित आए। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया।
2. बहस वकील अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सुनी गयी। वकील अपीलार्थी अपील प्रार्थना पत्र एवं मियाद प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्ष 2021 में कोविड 19 महामारी के कारण अपीलार्थी को आलौच्य आदेश की जानकारी होने से अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत की गयी हैं। आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध हैं, जिसे किसी भी समय चुनौति दी जा सकती हैं। माननीय सवौच्च न्यायालय द्वारा भी कोविड महामारी के समय अवधि को मियाद से छूट प्रदान की गयी हैं। अपील अन्दर मियाद ग्रहण कर सुनवाई हेतु निवेदन किया। प्रत्यर्थी निवेदन किया कि अपीलार्थी को 30 दिवस के भीतर अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। अपील 3 माह बाद प्रस्तुत की हैं, देरी का कोई ठोस कारण अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया हैं। अपील बाहर मियाद होने के कारण खारिज किये जाने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं कि प्रश्नगत भूमि उनकी खरीदशुदा होने से वे भूमि पर सद्भावी काबिज चले आ रहे थे, प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रकरण उपखण्ड अधिकाररी अनूपगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन है। ऐसे में न्यायालय की राय में अपीलार्थी की अपील को तकनीकी आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा कर अपील अन्दर मियाद मानी जाकर ग्रहण की जाती है।
3. अपीलार्थी अधिवक्ता अपील पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर आज्ञापक प्रावधानों की अनदेखी कर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित किया गया हैं। निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया ना ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब पर कोई गौर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया और ना ही साक्ष्य का अवसर दिया गया। चक 1 एनडब्ल्यूएम तहसील अनूपगढ़ का

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:31:38 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर अनूपगढ़

मु.नं. 220/54 का कि.नं. 3 ता 25 की कुल 22.10 बीघा कमाण्ड भूमि पौंग बांध विस्थापितों के रूप में शालीराम पुत्र रिजुराम जाति चौधरी को आवंटित हुई थी आवंटी ने उक्त भूमि अपीलांट को जरिए इकरारनामा दिनांक 01.03.2012 को विक्रय की है। अपीलांट का कुल खरीदशुदा कृषि भूमि पर ईकरारनामा के आधार पर सद्भाविक खरीददार की हैसियत से निरन्तर एवं शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। उक्त भूमि आदेश दिनांक 11.06.1987 के द्वारा खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.03.1991 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया प्रकरण वर्तमान में उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ के न्यायालय में विचाराधीन रहा है प्रकरण में अभी तक निर्णय अंतिम नहीं हुआ हैं ऐसे में समस्त भूमि रकबा राज की परिभाषा में नहीं आती हैं। अतः अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्ध होने के कारण खारिज किये जाने के लिए निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलार्थी रकबाराज भूमि पर बतौर अतिक्रमी काबिज थे, जिस पर पटवारी हल्का की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत अपीलार्थी के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया गया एवं अप्रार्थी/अपीलार्थी को तलब किया गया तथा मौके पर खड़ी फसल को कुर्क किये जाने के आदेश दिए गये। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्राप्त होने के पश्चात दिनांक 05.03.2021 को आदेश पारित किया गया हैं। पारित आदेश विधि सम्मत हैं। अपील अस्वीकार किये जाने के लिए निवेदन किया।

5. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा निवेदन किया गया हैं प्रश्नगत भूमि उनकी खरीदशुदा होने की हैसियत से वे भूमि पर काबिज काश्त थे, प्रत्यर्थी द्वारा भूमि को रकबाराज मानते हुए अपीलार्थी को बतौर अतिक्रमी की हैसियत से बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये आलौच्य आदेश पारित किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में अपीलार्थी को जरिए नोटिस तलब करते हुए अप्रार्थी का जवाब प्राप्त करने पश्चात अपीलाधीन आदेश पारित किया गया हैं। अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील के पैरा सं. 5 में यह अंकित किया हैं कि "उक्त कृषि भूमि आदेश 11.06.1987 के द्वारा खारिज कर दी गई जिसके विरूद्ध प्रस्तुत अपील को माननीय राजस्व अपील अधिकारी श्रीगंगानगर ने दिनांक 22.03.1991 को स्वीकार करते हुए प्रकरण पुनः रिमाण्ड किया गया उक्त प्रकरण माननीय पौंग बांध विशिष्ट न्यायालय, श्रीगंगानगर में भी चला जिसमें पौंगबांध विशिष्ट न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार का प्रकरण नहीं मानते हुए इसी अनुसार निर्णित किया तत्पश्चात उक्त प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में विचाराधीन रहा है माननीय राजस्व अपील अधिकारी के द्वारा रिमाण्ड के उपरांत इस प्रकरण में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं हुआ हैं। अधनीस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार द्वारा पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त होने पर कि रकबाराज भूमि पर अपीलार्थी द्वारा बतौर अतिक्रमी फसल काश्त की गयी हैं। अतः प्रकरण का अवलोकन करने पर स्पष्ट हैं कि भूमि राजस्व रिकार्ड में आराजीराज दर्ज हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम के [illegible] के विरूद्ध की गई कार्यवाही उचित हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा [illegible] करते समय किसी प्रकार की विधिक भूल किया [illegible] हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.13 17:51:38 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः उपर्युक्त [illegible] की जाती हैं।
निर्णय [illegible] 2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवधेश मीना)
जिला कलक्टर I.A.S
अनूपगढ़
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (राज.)